अध्याय - I

आदेश, लक्ष्य तथा उद्देश्य और नीतिगत रूपरेखा

अध्याय - 1

आदेश, लक्ष्य तथा उद्देश्य और नीतिगत रूपरेखा

आदेश

1.1 कोयला मंत्रालय को कोयला तथा लिग्नाइट भंडारों के वैज्ञानिक उपयोग, देश में ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कोयला तथा लिग्नाइट भंडारों के अन्वेषण हेतु नीतियों को निर्धारित करने का समग्र उत्तरदायित्व सौंपा गया है। विभिन्न परियोजनाओं का कार्यान्वयन मंत्रालय के समग्र सुपरवीजन में कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन तीन पीएसयू अर्थात कोल इंडिया लि., नेयवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. द्वारा किया जाता है। वर्ष के दौरान कोयला तथा लिग्नाइट के उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र के कोयला उपक्रमों(पीएसयू) का कार्य-निष्पादन अच्छा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में संतुलित वृद्धि को देखते हुए कोल इंडिया लि. और इसकी सहायक कंपनियां कोलफील्ड क्षेत्रों में विद्यमान कठिन स्थितियों तथा देश की ऊर्जा आवश्यकताओं और कोयला खनन से जुड़ी पर्यावरण अड़चनों के बीच समुचित संतुलन बनाने की आवश्यकता के कारण अड़चनों के बावजूद कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयास कर रही है। इस मंत्रालय को समय-समय पर यथा-संशोधित भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियमावली, 1961 के अधीन सौंपे गए कार्य निम्नलिखित हैं : -

- भारत में कोकिंग, नान-कोकिंग कोयला और लिग्नाइट भंडारों का अन्वेषण एवं विकास ।
- कोयला के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण तथा मूल्य-निर्धारण से संबंधित सभी मामले।
- इस्पात मंत्रालय जिन वाशरियों के लिए उत्तरदायी है, उन वाशरियों को छोड़कर अन्य कोयला वाशरियों का विकास और संचालन।
- कोयले का निम्न तापीय कार्बनीकरण तथा कोयला से सिंथेटिक तेल का उत्पादन।
- कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 28) का प्रशासन।
- कोयला खान भविष्य निधि संगठन।

- कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम, 1948 (1948 का 46) का प्रशासन ।

- खानों से उत्पादित तथा प्रेषित कोक एवं कोयला पर उत्पाद शुल्क लगाने तथा उसकी वसूली के लिए खान अधिनियम, 1952 (1952 का 32) के अंतर्गत बनाए गए नियम और बचाव कोष का प्रशासन ।

- कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास), अधिनियम, 1957 (1957 का 20) का प्रशासन ।

- खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) तथा अन्य संघीय कानूनों का प्रशासन,जहां तक उक्त अधिनियम तथा कानूनों का संबंध कोयला और लिग्नाइट तथा रेत भराई एवं विभिन्न राज्यों से संबद्ध प्रश्नों सहित इस प्रकार के प्रशासन के प्रासंगिक कार्यों से सम्बद्ध है ।

आर्थिक कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप

1.2 यह मंत्रालय तथा इसके उपक्रम मुख्य रूप से कोयला तथा लिग्नाइट की बढ़ती मांग को पूरा किए जाने के लिए इनके उत्पादन की ओर उन्मुख हैं । इसके साथ-साथ, कोयला परिष्करण/धुलाई, लदान तथा प्रेषण सुविधाओं जैसी सभी परियोजना आवर्ती गतिविधियों और कामगारों की सुरक्षा एवं कल्याण के उपायों पर आवश्यक तथा उचित समय पर कार्रवाई करना भी अपेक्षित है । साफ्ट कोक का उत्पादन, धुआं-रहित ईंधन के लिए निम्न तापीय कोयला कार्बनीकरण, कोयले का गैसीकरण जैसे अन्य सहायक/मूल्यवर्धन क्रियाकलाप भी शुरू किए गए हैं । नए भण्डारों का अन्वेषण तथा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं भी मंत्रालय के महत्वपूर्ण क्रियाकलाप हैं। इसके अतिरिक्त, नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिग्नाइट के भण्डारों के अन्वेषण तथा लिग्नाइट से विद्युत के उत्पादन में कार्यरत है।

1.3 कोयला भारत में, विद्युत का उत्पादन करने के लिए ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है । विद्युत का अधिकांश उत्पादन तापीय विद्युत गृहों से होता है, जो फीड स्टॉक के रूप में कोयला पर निर्भर होते हैं। इसके अतिरिक्त, इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, रसायन, कागज जैसे अन्य क्षेत्र तथा बड़ी संख्या में मध्यम तथा लघु उद्योग अपने प्रचालनों तथा ऊर्जा की आवश्यकताओं के लिए कोयले पर निर्भर होते हैं। यद्यपि परिवहन क्षेत्र में रेलवे द्वारा स्टीम इंजनों को धीरे-धीरे समाप्त किए जाने के कारण कोयले का प्रत्यक्ष उपभोग नाममात्र है किन्तु रेलवे के विद्युतीकृत कर्षण में वृद्धि कोयला से परिवर्तित विद्युत ऊर्जा पर निर्भर है । अतएव, कोयला मंत्रालय देश के कोयला स्रोतों को इस तरह से विकसित करने में लगा है जिससे

विभिन्न उपभोक्ता क्षेत्रों की कोयले की आवश्यकताएं पूर्ण रूप से पूरी हों और तेल/आयातित कोयले पर उनकी निर्भरता न्यूनतम रहे।

संगठनात्मक ढाँचा

1.4 सचिवालय का ढांचा

कोयला मंत्रालय के सचिवालय के प्रमुख सचिव हैं जिनकी सहायता के लिए एक अपर सचिव, तीन संयुक्त सचिव (वित्तीय सलाहकार सहित) एक परियोजना सलाहकार, एक आर्थिक सलाहकार, सात निदेशक/उप सचिव, एक तकनीकी निदेशक, नौ अवर सचिव, अट्ठारह अनुभाग अधिकारी, एक सहायक निदेशक (रा.भा.) और एक उप-लेखा नियंत्रक और अन्य सहायक कर्मचारी हैं।

अधीनस्थ कार्यालय तथा स्वायत्त निकाय

1.5 इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन निम्नलिखित अधीनस्थ कार्यालय एवं स्वायत्त निकाय हैं :

(i) कोयला नियंत्रक के संगठन का कार्यालय (सीसीओ) - एक अधीनस्थ कार्यालय

(ii) कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) - एक स्वायत्त निकाय

कोयला नियंत्रक का संगठन

1.5.1 कोयला नियंत्रक संगठन, कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक अधीनस्थ कार्यालय है जिसका मुख्यालय कोलकाता में है तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालय धनबाद, रांची, बिलासपुर, नागपुर ,कोटागुड्डम और संबलपुर में स्थित हैं। कोयला नियंत्रक को कतिपय सांविधिक कार्य करने होते हैं।

कोयला नियंत्रक द्वारा किए जाने वाले मुख्य कार्य संक्षिप्त में नीचे दिए गए हैं :

(क) कोलियरी नियंत्रण नियमावली, 2004 :

(i) कोयले के ग्रेडों (अनंतिम, अन्तिम तथा अन्तरिम संशोधन) की घोषणा करने के लिए कोयले के नमूनाकरण एवं विश्लेषण की क्रियाविधि तथा पद्धति का निर्धारण करना।

(ii) कोयले की गुणवत्ता की जांच करना, जहां कहीं आवश्यक हो, उसका सत्यापन करना और ग्रेडों की घोषणा के बारे में विवाद समाधान तंत्र के रूप में कार्य करना।

(iii) कोयला खानों से कोयला स्टाक अथवा कोयले के संभावित उत्पादन की बिक्री की व्यवस्था का विनियमन।

(iv) कोयला/लिग्नाइट खान, सीम अथवा सीम के किसी खण्ड को खोलने की पूर्वानुमति प्रदान करना।

(ख) कोयला (संरक्षण तथा विकास अधिनियम), 1974 और उसके अधीन बनी नियमावली 1975 :

सदस्य सचिव होने के नाते कोयला नियंत्रक कोयला संरक्षण और विकास सलाहकार समिति का समस्त सचिवालयी कार्य करता है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) दो मुख्य शीर्षों - " कोयला खनन में कोयला संरक्षण और सुरक्षा (अनुसंधान और विकास, रेत भराई एवं बचाव कार्यों) पहलुओं " एवं " कोलफील्ड क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक विकास (सड़क/रेल) क्रियाकलापों " के अंतर्गत आंशिक सहायता हेतु विभिन्न कोयला कंपनियों के विभिन्न दावों और प्रस्तावों की बहुस्तरीय जांच।

(ii) कोयला कम्पनियों से उपभोक्ताओं को किए गए कच्चे कोयले के प्रेषण पर लगाए गए उत्पाद-शुल्क का संग्रहण तथा मूल्यांकन करना।

(ग) सांख्यिकी एकत्रीकरण अधिनियम, 2008 और सांख्यिकी एकत्रीकरण (केन्द्रीय) नियमावली, 2011 :

कोयला नियंत्रक का कार्यालय देश में कोयला तथा लिग्नाइट से संबंधित सांख्यिकीय सूचना के एकत्रीकरण एवं प्रकाशन के लिए सांख्यिकीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है। "भारतीय कोयला निर्देशिका " वार्षिक रूप से प्रकाशित की जाती है और मासिक कोयला सांख्यिकी रिपोर्ट मंत्रालय को भी प्रस्तुत की जाती है।

(घ) कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण तथा विकास) अधिनियम, 1957 तथा उसके अधीन बनायी गई नियमावली :

कोयलाधारी क्षेत्रों के अधिग्रहण से संबंधित आपत्तियों के निपटान के लिए सुनवाई प्राधिकारी के रूप में कार्य करना।

(ड़) केप्टिव कोयला/लिग्नाइट ब्लाकों और इससे संबंधित अन्त्य उपयोग परियोजनाओं की प्रगति की मानीटरिंगः

कोयला नियंत्रक, आबंटित कोयला /लिग्नाइट ब्लाकों और उससे संबद्ध अन्त्य उपयोग परियोजनाओं की प्रगति की स्थिति के बारे में सूचना तिमाही आधार पर एकत्र करता है तथा मंत्रालय को एक समेकित रिपोर्ट समीक्षा के लिए प्रस्तुत करता है ।

(च) कोयला वाशरियों की मानीटरिंगः

कोयला नियंत्रक कोयला वाशरियों की स्थापना और उनके कार्यकरण को भी मानीटर करता है।

(छ) कोयला मंत्रालय द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार कोल रिजेक्स तथा अन्य कार्बन युक्त उत्पादों के निपटान से संबंधित कार्य की देखरेख करना ।

(ज) कोयला नियंत्रक भुगतान आयुक्त कार्यालय, कार्यालय के शेष कार्य और कोयला मंत्रालय द्वारा सौंपे गए अन्य विभिन्न कार्यो को भी करता है।

ढाँचा

कोयला नियंत्रक का संगठन का मुख्यालय कोलकाता में है। कोयला नियंत्रक का संगठन के छह फील्ड कार्यालय धनबाद, रांची, विलासपुर, नागपुर, कोठागुड्म और संबलपुर में है। इन फील्ड कार्यालयों में व्यक्ति सर्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनियों से लोन पर लिए जाते है।

इन फील्ड कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित है -

धनबाद - भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल) - कमान क्षेत्र - 97 खानें

रांची - सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. (सीसीएल) - नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.(एनसीएल) के अधीन कोलियरियां - कमान क्षेत्र - 77 खानें

बिलासपुर - साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि (एसईसीएल) के अधीन कोलियरियां - कमान क्षेत्र - 95 खानें

नागपुर.- वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के अधीन कोलियरियां (डब्ल्यूसीएल) - कमान क्षेत्र - 87 खानें । लिग्नाइट खानें - 08

कोठागुड्म - सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल) के अधीन कोलियरियां - कमान क्षेत्र - 50 खानें

संबलपुर- महानदी कोलफील्ड लि0(एमसीएल) के अधीन कोलियरियां- कमान क्षेत्र-22 खानें

कोलकाता - नेयवेली लिग्नाइट कारर्पोरेशन लि. (एनएलसी), राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लि. (आरएसएमएमएल) के अधीन लिग्नाइट खानें, नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड लि. (एनईसीएल), ईसीएल के अंतर्गत कोलियरियां - कमान क्षेत्र - 123 खानें । लिग्नाइट खानें - 06

कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ)

1.5.2 कोयला खान भविष्य निधि संगठन, कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम, 1948 के अंतर्गत स्थापित एक स्वायत्त निष्काय है। सीएमपीएफओ कोयला खान भविष्य निधि योजना, 1948 तथा कोयला खान पेंशन योजना, 1998 को प्रशासित करता है। ये सभी योजनाएं 1948 के अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत तैयार की गई हैं ।

कोयला मंत्रालय के अधीन कोयला कम्पनियां

1.6 मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन तीन पीएसयू हैं। कोल इंडिया लि. (धारक कम्पनी) और नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. भारत सरकार की प्रमुख शेयर धारक हैं। सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. क्रमशः 49:51 के अनुपात में पूंजी भागीदारी के साथ भारत सरकार और आन्ध्र प्रदेश सरकार के बीच संयुक्त स्वामित्व वाली कंपनी है।

कोल इंडिया लि.(सीआईएल)

1.6.1 कोल इंडिया लि., जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, आठ उत्पादक सहायक कंपनियों तथा एक आयोजना तथा डिजाइन अनुषंगी कंपनी की धारक कंपनी है, अर्थात :-

1) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ई.सी.एल), संकतोड़िया (प.बंगाल)
2) भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल), धनबाद (झारखंड)
3) सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सीसीएल), रांची (झारखंड)
4) नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. (एनसीएल), सिंगरौली (मध्य प्रदेश)
5) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.(डब्ल्यूसीएल), नागपुर (महाराष्ट्र)
6) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एसईसीएल), बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
7) महानदी कोलफील्ड्स लि. (एमसीएल), संबलपुर (उड़ीसा)
8) कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटाडा, मोजाम्बिक

9) सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि. (सी.एम.पी.डी.आई.एल.), रांची (झारखंड) ।

नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि0 (एनएलसी)

1.6.2 नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि., जिसका मुख्यालय नेयवेली, तमिलनाडु में स्थित है, मुख्यतः देश में लिग्नाइट भंडारों के दोहन तथा लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजनाओं से बिजली उत्पादन में लगा हुआ है ।

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि0 (एससीसीएल)

1.6.3 सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि0 1920 में एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित की गई थी जो 1956 में एक सरकारी कंपनी बनी और इसका मुख्यालय कोठागुडम, आंध्र प्रदेश में है । यह कंपनी आंध्र प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार का एक संयुक्त उपक्रम है । इस कंपनी की शेयर पूंजी आंध्र प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार के पास क्रमशः 51:49 के अनुपात में है । यह कंपनी आंध्र प्रदेश राज्य में कोयले के भंडारों के दोहन का कार्य करती है।